(भारत के राजपत्र असाधारण, भाग–II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
विदेश व्यापार महानिदेशालय

अधिसूचना सं. 36 /2015–2020
नई दिल्ली, दिनांक: 28 सितम्बर, 2022

विषयः आईटीसी (एचएस), 2022, अनुसूची–I (आयात नीति) के अध्याय 08 के आईटीसी (एचएस) 0802 80 10 के अंतर्गत आयात नीति की नीतिगत शर्त में संशोधन।

सा.आ.(अ.) समय–समय पर यथासंशोधित विदेश व्यापार नीति, 2015–2020 के पैरा 1.02 और 2.01 के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 5 के साथ पठित धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा आईटीसी (एचएस) 2022 अनुसूची–I (आयात नीति) के अध्याय 08 के आईटीसी (एचएस) 0802 80 10 के अंतर्गत मदों आयात की नीतिगत शर्त को संशोधित करती है:

एक्जिम कोड	मद विवरण	मौजूदा नीति	मौजूदा नीतिगत शर्त	संशोधित नीतिगत शर्त
080280	सुपारी			
08028010	पूर्ण	निषिद्ध	तथापि, यदि सीआईएफ मूल्य 251/– रु. प्रति कि.ग्रा. और अधिक हो तो आयात मुक्त है।	(क) तथापि, यदि सीआईएफ मूल्य 251/– रु. प्रति कि.ग्रा. और अधिक है तो आयात मुक्त है। (ख) भूटान से प्रति वर्ष न्यूनतम आयात मूल्य (एमआईपी) की शर्त के बिना ताजा (हरा) सुपारी का 17000 मी. टन आयात अनुमत होगा। ऐसे आयात केवल निम्नानुसार अनुमत होंगे: (i) केवल एलसीएस जयगांव (आईएनजेआईजीबी) के माध्यम से और (ii) डीजीएफटी द्वारा जारी वैध पंजीकरण प्रमाणपत्र के अधीन होगा।

2. **अधिसूचना का प्रभाव:** भूटान से प्रति वर्ष एलसीएस जयगांव (आईएनजेआईजीबी) के माध्यम से 17000 मी. टन ताजा (हरा) सुपारी का न्यूनतम आयात मूल्य (एमआईपी) शर्त के बिना आयात डीजीएफटी द्वारा जारी वैध पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी करने के अधीन अनुमत होगा।

इसे वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

संतोष कुमार सारंगी
28.9.2022

(संतोष कुमार सारंगी)
महानिदेशक, विदेश व्यापार एवं
पदेन अपर सचिव, भारत सरकार
ई–मेल : dgft@nic.in

(फा.सं. 01/89/180/43/एएम–01/पीसी–2[क]/पार्ट–III/ई–8258 से जारी)